न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 165/2022

1 खेमचन्द पुत्र सांवतराम जाति माली निवासी भोपा वाली ढ़ाणी तन चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 हेमाराम पुत्र मालाराम।

2 जीताराम पुत्र मालाराम समस्त जाति माली निवासीगण भोपा वाली ढ़ाणी तन चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

3 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मालाराम जाति माली निवासी श्री स्कूल के पास घोराना झुंझुनू जयपुर बई पास रोड़ पिपराली चौराहा सीकर तहसील व जिला सीकर।

4 परमेश्वरी पुत्री मालाराम पत्नी गणपतराम जाति माली निवासी नई सब्जी मण्डी के सामने ढ़ाणी शिशुहाल उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

5 झुमा देवी पुत्री मालाराम पत्नी भेमाराम जाति माली निवासी भैरूसिंह की ढ़ाणी उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

6 अणची देवी पुत्री मालाराम पत्नी बनवारीलाल जाति माली निवासी दायरा तन खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर।

7 जनता देवी पुत्री मालाराम पत्नी मोतीराम जाति माली निवासी झालरा तन खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर।

8 पाचोरी पुत्री मालाराम पत्नी गिरधारी जाति माली निवासी ढ़ाणी झालरा तन खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर।

9 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
[illegible]

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

अपील विरूद्व एक पक्षीय निर्णय दिनांक 30.09.2022
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ उनवानी
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम हेमाराम बनाम जीताराम वगैरह मुदमा
नम्बर 65/2022

उपस्थिति :

1. श्री सुरेन्द्र कुमार बेरवाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रवीराज, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 12-4-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 65/2022 में पारित निर्णय दिनांक 30.09.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए प्रस्तुत कर आवेदक को आने जाने हेतु खेत खसरा नम्बर 982, 983 में से 12 फीट चौड़े रास्ते का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट खेमचन्द को जारी नोटिस दिनांक 06.07.2022

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

के लिए जारी किया गया है। जबकि विचारण न्यायालय की आदेशिका में 06.07.2022 की न तो कोई आदेशिका है, न ही विचाराधीन पत्रावली में विचारण न्यायालय द्वारा 06.07.2022 की कोई तिथि नियत की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा बिना सम्यक तामील के अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरित है। अतः अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट खसरा नम्बर 983 का खातेदार है। अपीलांट को विचारण न्यायालय में सम्यक तामील हुई है। मौका रिपोर्ट के समय अपीलांट मौके पर उपस्थित था किन्तु मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया गया है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में आदेश 09 नियम 13 का आवेदन प्रस्तुत कर रखा है। ऐसी स्थिति में अपील पोषणीय नहीं है। धारा 251 ए में संक्षिप्त कार्यवाही होती है। विचारण न्यायालय में विधिक प्रक्रिया की पालना कर विधि सम्मत रूप से विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे (रेव) 2022 पेज 1615 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट खेमचन्द को जारी नोटिस दिनांक 06.07.2022 के लिए जारी किया गया है। जबकि विचारण न्यायालय की आदेशिका में 06.07.2022 की न तो कोई आदेशिका है, न ही विचाराधीन पत्रावली में विचारण न्यायालय द्वारा 06.07.2022 की कोई तिथि नियत की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा बिना सम्यक तामील के अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरित है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 13.07.2022 को अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर अनावेदक संख्या 2 से 7 की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक करवाने के आदेश दिए है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की तामील इनकारी व चस्पांदगी से होना प्रकट किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा विधि अनुसार चस्पांदगी के आदेश भी पारित नहीं किए गये है, न ही अपीलांट के नोटिस रजि. डाक से देने के आदेश दिए है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को पुन सुनकर पुन मौका रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.05.2023 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 12/04/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर